न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 08/2021

1. सुबेसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. रावतसिंह पुत्र सुरजनसिंह, जाति राजपूत निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
2. तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम रावतसिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 05/2020 निर्णय दिनांक 19.01.2021

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ----- ------ -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां,एडवोकेट -----------रेस्पोडेंट नंबर 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------------रेस्पोडेन्ट नंबर 2 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.01.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रावतसिंह मु0नं0 05/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— जमीन हाल खसरा नंबर 419 रकबा 0.87 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम बड़बर तहसील बुहाना में स्थित है। उक्त जमीन में बिना संपरिवर्तन करवाये रेस्पोडेन्ट नंबर 1 अवैध रूप से निर्माण कार्य कर रहा था तब सह खातेदार अपीलांट की शिकायत पर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के विरूद्ध [illegible] के समक्ष धारा 90ए राज. ले रे एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही शुरू [illegible] रेस्पोडेन्ट नंबर 1 के विरूद्ध धारा 90 ए राज.ले. एक्ट की कार्यवाही [illegible] आलोच्य निर्णय [illegible] पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

कर निवेदन किया कि हाल खसरा 419 ग्राम बड़बर अपीलांट व अन्य की सह खातेदारी की जमीन है। कानून से बिना जमीन के विधिवत विभाजन के कोई एक सह खातेदार जमीन के विशेष भू भाग पर निर्माण कार्य नहीं कर सकता। उक्त जमीन के बाबत उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में जमीन के विभाजन का दावा विचाराधीन है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में पुराने मकानों की जगह ही नये निर्माण का तथ्य गलत दर्ज किया है फिर भी धारा 90 ए राज ले. रे. एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। कानून से कृषि भूमि में कोई व्यक्ति संपरिवर्तन करवाये बिना कोई निर्माण कार्य भी नहीं कर सकता। आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट आदेश नहीं है। अपीलांट जमीन हाल खसरा नंबर 419 ग्राम बड़बर के सह खातेदार है तथा जमीन का अभी विधिवत विभाजन नहीं आ है जमीन के विधिवत विभाजन के पूर्व किसी एक सह खातेदार को जमीन के विशेष भू भाग पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपीलांट आलौच्य निर्णय से प्रभावित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 19.01.2021 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 के विरूद्ध धारा 90 ए राज.ले.रे एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– हाल खसरा 419 ग्राम बड़बर अपीलांट व अन्य की सह खातेदारी की जमीन है। कानून से बिना जमीन के विधिवत विभाजन के कोई एक सह खातेदार जमीन के विशेष भू भाग पर निर्माण कार्य नहीं कर सकता। उक्त जमीन के बाबत उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में जमीन के विभाजन का दावा विचाराधीन है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में पुराने मकानों की जगह ही नये निर्माण का तथ्य गलत दर्ज किया है फिर भी धारा 90 ए राज ले. रे. एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। कानून से कृषि भूमि में कोई व्यक्ति संपरिवर्तन करवाये बिना कोई निर्माण कार्य भी नहीं कर सकता। आलौच्य निर्णय तर्क एवं निष्कर्ष सहित स्पष्ट आदेश नहीं है। अपीलांट जमीन हाल खसरा नंबर 419 ग्राम बड़बर के सह खातेदार है तथा जमीन का अभी विधिवत विभाजन नहीं आ है जमीन के विधिवत विभाजन के पूर्व किसी एक सह खातेदार को जमीन के विशेष भू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

भाग पर निर्माण कार्य की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपीलांट अपने हक हिस्से की भूमि जरिये नोटेरी विक्रय कर चुका है, अब वह अपीलांट के हक हिस्से में मकाना बना रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 19.01.2021 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 के विरूद्ध धारा 90 ए राज.ले.रे एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयत तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है और पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। हस्तगत प्रकरण में धारा 90ए एल0आर0एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। रेस्पोंडेंट ने कृषि कार्य करने के लिये काम आने वाले औजारों का रखने के लिये मकान का निर्माण किया है। काश्तकार अपनी भूमि के 1/50 वें हिस्से में बिना अनुमति के रहने एवं पशु आदि की व्यवस्था के लिए निर्माण कार्य कर सकता है। पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी बुहाना के न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है । अतः अपील अपीलांट निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि सह खातेदारी की भूमि है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 ने अपने हक हिस्से की भूमि जरिये नोटेरी विक्रय कर दी है अब रेस्पोंडेंट जबरन उसके हक हिस्से की भूमि में जबरन निर्माण कार्य कर रहा है। उपखण्ड अधिकारी बुहाना के यहां विभाजन का वाद विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रती[illegible] है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधा[illegible] जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्[illegible] 05/2020 सरकार बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

रावत सिंह निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बुहाना को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि धारा 90 ए एल.आर एक्ट के अन्तर्गत पुनः प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

24.8.2021

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.8.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.01 16:31:50 IST
Reason: SelfAttested